उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 10 से 11/ECTC,PRG/2026-27

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु पृथक–पृथक ई–निविदाएं दो भागों में {प्रथम भाग में टेक्निकल बिड के अन्तर्गत धरोहर धनराशि, निविदा शुल्क एवं संलग्न Pre-Qualification के अनुसार प्रपत्र तथा द्वितीय भाग में फाइनेन्शियल बिड के अन्तर्गत मात्र निविदित दरों का विवरण होगा} सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदारों से ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

निविदा सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (G.S.T. सहित) (₹)	धरोहर धनराशि (₹)	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा खोले जाने का तिथि एवं समय
10	220–के0वी0 साहूपुरी (220)–भदोही सर्किट एवं 220 के0वी0 साहूपुरी(220)– राजा का तालाब सर्किट का 220 के0वी0 साहूपुरी उपकेन्द्र से 400के0वी0 साहूपुरी उपकेन्द्र पर विस्थापन हेतु 400के0वी0 पर साहूपुरी 02 नग 220के0वी0 'बे' के निर्माण से संबंधित जानपदीय कार्य।	76.70 (जी0एस0टी0 सहित)	3 माह	(6000+1080) =7080.00	1,54,000.00	28.05.2026 14:00 बजे तक	29.05.2026 15:00 बजे तक
11	220के0वी0 उपकेन्द्र, गजोखर जनपद वाराणसी पर 01 अदद 33 के0वी0 करखियॉव 'बे' का जानपदीय निर्माण कार्य।	10.40 (जी0एस0टी0 सहित)	2 माह	(2000+360) =2360.00	21,000.00	28.05.2026 14:00 बजे तक	29.05.2026 15:00 बजे तक

1. निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि जो "Superintending Engineer, Electricity Civil Transmission Circle, Prayagraj" के पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक, लाउदर रोड़ जार्ज टाउन, प्रयागराज के खाता संख्या **8832005900000016** एवं **IFS Code PUNB0883200** में RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व सीधे खाते में जमा की जायेगी। साक्ष्य के रूप में योज्य यू0टी0आर0 संख्या, खातें का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, प्रति पार्ट–1 के साथ अपलोड करना अति–आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा, साथ ही निविदा प्रकाशित होने से पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि/धरोहर धनराशि से अधिक/किसी भी धनराशि पर विचार नही किया जायेगा।
2. निविदादाता द्वारा विभाग की किसी अन्य निविदा में प्रतिभाग करते हुये EMD जमा की गयी है तो जमा की गयी EMD को वर्तमान निविदा में EMD के रूप में मान्यता नही मिलेगी।
3. यू0पी0पी0सी0एल0/सी0पी0डब्ल्यू0डी0/एम0ई0एस0/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/रेलवे एवं अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदार निविदा में भाग ले सकते है।
4. निविदा में प्रतिभागी किसी भी निविदादाता का निविदा शुल्क वापस नही किया जायेगा तथा कार्य की L.O.I. निर्गत होने के पश्चात अन्य असफल निविदादाता की धरोहर धनराशि निर्गत की जायेगी।
5. निविदादाता को सभी अभिलेखों को स्कैन कर निविदा के साथ ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। Hard Copy संलग्न P.Q.R. के Clouse No. 08 के अनुसार मान्य होगा।
6. उपरोक्त सभी कार्य को यू0पी0पी0डब्ल्यू0डी0/यू0पी0टी0सी0एल0 के विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।
7. निविदादाता की पात्रता संलग्न P.Q.R. के अनुसार मान्य होगी।
8. निविदा की वैधता खुलने से चार माह तक होगी।
9. निविदा समिति को पूर्ण अधिकार होगा की बिना कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त कर देने अथवा दो या दो से अधिक ठेकेदारों में विभक्त कर दें।
10. निविदा का विवरण http://upptcl.org एवं http://etender.up.nic.in साइट पर देखा जा सकता है। कार्य की निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेब साइट http://etender.up.nic.in पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
11. निविदा खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड जाने या इन्टरनेट/तकनीकी/बाधित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
12. निविदादाता निविदा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन/शुद्धिपत्र हेतु ई–टेण्डरिंग पोर्टल/वेबसाइट पर सजग रहे/देख सकते है।
13. शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2 आडिट/08 में निहित आदशों के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारण्टी (In the form of FDR only) जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. फर्म/ठेकेदार के प्रत्येक चालित बीजक से 10 प्रतिशत की सुरक्षा धनराशि काटी जायेगी जो कि कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के 06 माह पश्चात/01 वर्षा ऋतु पश्चात जो भी बाद में हो, के उपरान्त ही सुरक्षा धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
15. किसी भी सरकारी विभाग में काली सूची में दर्ज अथवा Debarred (वंचित/विवर्जित/प्रतिबन्धित) हुये निविदाकार/फर्म निविदा में प्रतिभाग नही कर सकते। यदि काली सूची में दर्ज अथवा Debarred (वंचित/विवर्जित/प्रतिबन्धित) हुये निविदाकार/फर्म निविदा प्राप्त कर लेता है एवं तत्पश्चात कार्य कराने के दौरान यदि काली सूची में दर्ज अथवा Debarred (वंचित/विवर्जित/प्रतिबन्धित) होने की सूचना प्राप्त होती है, अथवा निविदाकार द्वारा निविदा के साथ उपलब्ध/अपलोड किये गये प्रपत्रों में कमी पाये जाने पर निविदाकार/फर्म का अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार/फर्म की होगी तथा निविदाकार/फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
16. लेबर सेस, रॉयल्टी एवं अन्य समस्त टैक्स की देयता फर्म/ठेकेदार की होगी, विभाग द्वारा मात्र जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा।
17. खनन विभाग द्वारा जिन मैटैरियल पर रॉयल्टी लागू है कि रॉयल्टी प्रपत्र विभाग को जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार कटौती कर अनुबन्ध अन्तिम किया जायेगा।
18. फर्म/ठेकेदार को अनुबंधित अथवा विस्तारित समयावधि (अर्थात कार्य पूर्ण होने तक) में लेबर एवं टी0 एण्ड पी0 पर Idling Charges अथवा ओवर हेड शुल्क देय नही होगें।
19. निविदाओं के मात्रा बीजक में ली गयी मात्रायें अनुमानित है जिसमें किसी भी स्तर तक परिवर्तन सम्भव है।
20. निविदादाता द्वारा डाली गयी दरें अनुबंधित अथवा विस्तारित समयावधि तक अपरिवर्तनीय रहेगी।
21. शासन द्वारा निर्धारित No Entry Zone में निर्धारित समय के अनुसार यदि कार्य बाधित होता है, उस स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी, विभाग द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
22. अनुबन्ध के अन्तर्गत कृत कार्यो के सैम्पल टेस्ट विभाग के Engineer-In-Charge के निर्देशानुसार NABL/PWD/Institute जो भी निर्देशित किया जायेगा से आई0एस0 कोड के मानक के अनुरूप फर्म/ठेकेदार के व्यय पर कराया/किया जायेगा।

23. अनुबन्ध के अन्तर्गत कृत कार्यो के टेस्ट रिपोर्ट/वर्क मैनशिप संतोषजनक न पाये जाने पर उसे तोड़ने एवं उसका पुनः निर्माण बिना किसी अतिरिक्त देय के फर्म/ठेकेदार द्वारा किये जाने की अनिवार्यता होगी।
24. कार्य के दौरान निर्माण स्थल पर नियुक्त किये गये मानव शक्ति (लेबर, मेसन इत्यादि) की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अप्रिय घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
25. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान पारेषण/जानपद स्कन्ध के कर्मियो/अधिकारियों के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
26. निर्माण के लिए JCB मशीन इत्यादि संबंधित JE(C)/SDO(C) के लिखित अनुमति से ही S/Yard में ले जाया जायेगा। कोई दुर्घटना होने पर क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
27. कार्य के दौरान निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार जल निकासी का कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।
28. कार्य स्थल पर जानपदीय कार्यो में प्रयोग होने वाले जल की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
29. श्रम विभाग में फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा।
30. यह फर्म/ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह अनुबन्ध के अन्तर्गत जानपदीय कार्यो में उपयोग की गयी सभी खनन सामाग्री पर सरकारी मानदण्डो के अनुसार रॉयल्टी (eMM-11 form) भुगतान का प्रमाण संबंधित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) को प्रदान करें।
31. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में उपलब्ध कराये गये तथ्यों में भविष्य में यह प्रमाणित होता है कि निविदाकार द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है तो उक्त निविदा/अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
32. L.O.I निर्गत होने के उपरान्त फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध से पूर्व अनुबन्धित धनराशि का 05 प्रतिशत F.D.R के रूप में अग्रिम सुरक्षा धनराशि जमा करायी जानी होगी।
33. फर्म को निविदा में भाग लेने से पूर्व निर्माण स्थल का अवलोकन कर लेना चाहिये।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज।

Email-ID-sectcalbd@upptcl.org
''राष्ट्र हित में बिजली बचाएं''

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 10 से 11/**ECTC,PRG/**2026–27

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 10 से 11/ECTC,PRG/2026–27 से सम्बन्धित आवश्यक विवरण (धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं कार्यावधि) इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका पूर्ण विवरण ई–पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदा अभिलेख/प्रपत्र ऑनलाईन उक्त ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर दिनाँक **28.05.2026** को 14:00 बजे तक उपलब्ध रहेगें, जिसे डाउनलोड कर ऑनलाईन http://etender.up.nic.in साइट पर दिनाँक **28.05.2026** को 14:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। निविदायें दिनाँक **29.05.2026** को 15.00 बजे से खोली जायेंगी। विस्तृत विवरण एवं अन्य कोई सुधार/परिवर्तन/संशोधन/विस्तार/शुद्धिपत्र हेतु उक्त ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर देख सकते है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, 57–जार्ज टाउन, प्रयागराज।

हेल्प लाईन दूरभाष सं0 0532–2256298

''राष्ट्र हित में बिजली बचाएं''

अधीक्षण अभियंता
विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughna Ram
Date: 2026.05.11 13:46:53 IST
Location: Uttar Pradesh-UP